

7  $\frac{4}{26}$

पत्रावली पेश।

पत्रावली- प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC पर आदेश हेतु दिनांक 17  $\frac{4}{26}$  को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
आबूपर्वत (सिराही)

17  $\frac{4}{26}$

पत्रावली पेश।

पत्रावली प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC पर आदेश हेतु दिनांक 24  $\frac{4}{26}$  को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
आबूपर्वत (सिराही)

24  $\frac{4}{26}$

पत्रावली पेश।

पत्रावली- प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC पर आदेश हेतु दिनांक 25  $\frac{5}{26}$  को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
आबूपर्वत (सिराही)

5  $\frac{5}{26}$

पत्रावली पेश। उक्त पक्ष अधि. उप.

वादीया स.  $\frac{1}{2}$  की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC परिषीषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश पृष्ठ से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रथम सिविल अपील नंबर 566/2011 लंबित है।

माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सिविल अपील नंबर में अंतिम निर्णय से पूर्व इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही करना



अधित प्रतीत नही होता है। अतः माननीय  
न्यायालय द्वारा प्रचय सिविल अपील  
नंबर 566/2011 में निर्णय तक इस  
पत्रावली में कार्यवाही स्थगित कि  
जाती है। पत्रावली में दिनांक 25.03.2019  
को वादीगण के विरुद्ध Ex parte के  
आदेश पारित किये गये हैं। माननीय  
न्यायालय के निर्णय के उपरान्त पक्षकारान  
द्वारा आवेदन करने पर प्रतिवादी फतेह सिंह  
के वारिसान व राज-गान सरकार (तहसीलदार)  
दोनों पक्षों को सुने जाने के लिये कार्यवाही  
की जा सेंगी। तब तक के लिये पत्रावली  
दाखिल दफतर कि जाती है। पत्रावली का  
कोर भी भाग नष्ट नही किया जावे संभाल  
के रखा जावे ताकि फतेह सिंह के वारिसान  
और राज-गान सरकार (तहसीलदार) के  
द्वारा आवेदन किये जाने पर पत्रावली  
पुनः नंबर पर ली जा सके।

सहायक कमिश्नर  
आबूपर्वत (सिरौली)